राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 840 व 841/2017..... जिला : कोटा

उनवान मैसर्स जैनको एण्टरप्राईजेज प्रा.लि.कोटा बनाम सहायक आयुक्त,प्रतिकरापवंचन,कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.06.2017	खण्डपीठ श्री के.एल.जैन, सदस्य श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य	

अपीलार्थी के ओर से श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से श्री अनिल पोखरणा, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

अपीलार्थी की ओर से उपर्युक्त दोनों अपीलें मय स्टे प्रार्थना पत्र उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 24.04.2017, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन,कोटा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के लिए पारित कर निर्धारण आदेश में निम्न तालिका के अनुसार आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों की वसूली पर रोक लगाने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों की वसूली पर रोक लगाते हुए कर एवं ब्याज पर रोक लगाने से इनकार करने के कारण कर एवं ब्याज की वसूली को स्थगित रखने का निवेदन किया गया है :–

अ.सं.	कर	ब्याज	शास्ति	स्थगन हेतु आवेदित राशि
840/17	17,90,201/–	4,83,354/–	35,80,402/–	22,73,555/–
841/17	4,89,758/–	73,464/–	9,79,516/–	5,63,222/–

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से बहस के दौरान कथन किया कि वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की अवधि में राज्य के बाहर से क्रय किये गये बिटुमिन का उपयोग संविदा कार्य निष्पादित किये जाने में किया गया है, जिसके उसके द्वारा विमुक्ति प्रमाण पत्र (Exemption Certificate) दिनांक 14.07.2014 के पहले ही प्राप्त कर लिया गया था इसलिए व्यवहारी राज्य के बाहर से मैटीरियल खरीद करने की योग्यता रखता है इसलिए कर एवं ब्याज आरोपित किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने उक्त आधार पर

प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा सन्तुलन व्यवहारी के पक्ष होने से उन्होंने उपरोक्त तालिका के अनुसार आवेदित राशियों की वसूली को अपील निर्णय तक स्थगित रखकने का निवेदन किया।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलाधीन आदेश को उचित बताते हुए कथन किया कि संविदा कार्य में निष्पादन हेतु राज्य के बाहर से क्रय किया गया बिटुमिन कर योग्य है इसलिए अपीलीय अधिकारी ने आरोपित शास्तियों की वसूली को स्थगित रखते हुए कर एवं ब्याज की वसूली को स्थगित नहीं किया है, जो पूर्णतः उचित है । उन्होंने उक्त कथन के आधार पर स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी को कार्य संविदा के लिए विमुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है। अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(59)एफडी/टैक्स/2014–23 दिनांक 14.07.2014 की शर्तो के अनुसार राज्य के बाहर से आयातित माल पर कर दायित्व होने से अपीलों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन व्यवहारी के पक्ष में नहीं होने से अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किये गये स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया जाता है।

20/6/2017

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य